



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224387
CG-DL-E-14012021-224387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]
No. 118]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग अधिसूचना

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 138(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2614 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में NH2 के कि.मी. 441.4 से कि.मी.520.2 (बराकर से पानागढ़, पानागढ़ बाईपास सहित) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 30 सितम्बर, 2020 "द टेलीग्राफ" और "अनंदा बाजार पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में NH2 के कि.मी. 441.4 से कि.मी.520.2 (बराकर से पानागढ़, पानागढ़ बाईपास सहित) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: पश्चिम बर्धमान		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कांकसा				
	गांव का नाम: खाटपुकर (जे एल सं० 59)				
1	567	निजी	कृषि	0.2873331	बिजन भट्टाचार्य (मृत) पुत्र पूर्ण चंद्र भट्टाचार्य, बिमान भट्टाचार्य (मृत) पुत्र पूर्ण चंद्र
2	568	निजी	कृषि	0.0323756	बिजन भट्टाचार्य (मृत) पुत्र पूर्ण चंद्र भट्टाचार्य, बिमान भट्टाचार्य (मृत) पुत्र पूर्ण चंद्र
3	570	निजी	कृषि	0.0283286	बिजन भट्टाचार्य (मृत) पुत्र पूर्ण चंद्र भट्टाचार्य, बिमान भट्टाचार्य (मृत) पुत्र पूर्ण चंद्र
4	575	निजी	कृषि	0.1578308	बिजन भट्टाचार्य (मृत) पुत्र पूर्ण चंद्र भट्टाचार्य, बिमान भट्टाचार्य (मृत) पुत्र पूर्ण चंद्र
			कुल	0.5059	

[फा. सं. 15016/2008/PIU(DUP)/2775/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 138(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2614 (E) Dated 4th August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance,

management and operation of NH2 on the stretch of land from Km 441.4 to Km 520.2 (Barakar to Panagarh including Panagarh Bypass) in the district of Paschim Bardhaman in the state of WEST BENGAL

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Telegraph" and "Anandabazar Patrika" both dated 30th September 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 441.400 to Km. 520.200 (Barakar to Panagarh including Panagarh Bypass) of NH-2 in the district of Paschim Bardhaman in the state of WEST BENGAL

State: WEST BENGAL			District: Paschim Bardhaman		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kanksa				
	Village: Khatpukur (J.L. No. 59)				
1	567	Private	Agriculture	0.2873331	Bijan Bhattacharya (Died), S/o Purna Chandra Bhattacharya. Biman Bhattacharya (Died), S/o Purna Chandra
2	568	Private	Agriculture	0.0323756	Bijan Bhattacharya (Died), S/o Purna Chandra Bhattacharya. Biman Bhattacharya (Died), S/o Purna Chandra
3	570	Private	Agriculture	0.0283286	Bijan Bhattacharya (Died), S/o Purna Chandra Bhattacharya. Biman Bhattacharya (Died), S/o Purna Chandra
4	575	Private	Agriculture	0.1578308	Bijan Bhattacharya (Died), S/o Purna Chandra Bhattacharya. Biman Bhattacharya (Died), S/o Purna Chandra
			TOTAL	0.5058681	

[F. No. 15016/2008/PIU(DUP)/2775/3D]

RAJESH GUPTA, Director